

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :::: सुमन चौधरी, R.T.S.
मिसल नं. :::: 06/2019

सरकार बनाम अनिल पुत्र दारासिंह, जाति-नट,
निवासी- पिलानी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 28.02.2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल अनिल पुत्र दारासिंह, जाति-नट, निवासी- पिलानी द्वारा रोही मौजा पिलानी की राजकीय भूमि ख.नं. 1010 कुल रकबा 1.89 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है० भूमि पर एक कच्चा छप्पर बनाकर एवं तार बाड़ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 06 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 18
वर्ष 2018-19 में रूपये 6/ कायम
राजस्व लेखाकार

(सुमन चौधरी)
तहसीलदार, सूरजगढ़

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :: सुमन चौधरी, R.T.S.
मिसल नं. :: 07/2019

सरकार

बनाम

दारासिंह पुत्र जगनाराम, जाति-नट,
निवासी- पिलानी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 28.02.2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर दारासिंह पुत्र जगनाराम, जाति-नट, निवासी- पिलानी द्वारा रोही मौजा पिलानी की राजकीय भूमि ख.नं. 1010 कुल रकबा 1.89 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है० भूमि पर एक कच्चा छप्पर बनाकर एवं तार बाड़ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बैदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 06 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बैदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 18
वर्ष 2018-19 में रूपये 6/- कायम
राजस्व लेखाकार

(सुमन चौधरी)
तहसीलदार, सूरजगढ़